

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त।

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।

हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक।

यादी क्रमांक 4133315 टीए-हर-1टी-2025/

दिनांक:-

विषय:-

श्री अमन कुमार, लेखा अधिकारी के हक में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

श्री अमन कुमार, लेखा अधिकारी कार्यालय सिविल सर्जन, करनाल से 58 वर्ष की आयु उपरान्त दिनांक 30.06.2026 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के कोई ड्यूज तो नहीं है। अन्यथा सेवा निवृत्ति उपरान्त यदि कोई मामला प्राप्त होता है तो आपका विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।


अधीक्षक

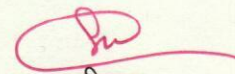
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक 4133315 टीए-हर-1टी-2025/ 7716

दिनांक: 06/11/2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग (वि०ले०शाखा)।
2. सिविल सर्जन, करनाल को उनके पत्र क्रमांक 5695 दिनांक 10.10.2025 के सन्दर्भ में।
- ✓ 3. प्रोग्रामर, महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को भेजते हुए लिखा जाता है कि इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


अधीक्षक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।